मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग,

क्रमांक /8065/2014/19/यो भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

विषय:-- पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने वाले कार्यों हेतु पूरक अनुपूरक सूची की स्वीकृति के संबंध में ।

योजना मद के अन्तर्गत स्वीकृत जिन कार्यो की स्थायी वित्तीय समिति (एस.एफ.सी.) अथवा वित्तीय व्यय समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है, उनमें पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु रखे गये प्रस्ताव के साथ ही कार्य के प्रत्येक आयटमों पर होने वाली वृद्धि का तुलनात्मक प्रपत्र संलग्न किया जाये । किसी भी आयटम की मात्रा में वृद्धि एवं नवीन आयटम जोड़े जाने की स्थिति में इस हेतु विस्तृत तकनीकी कारण दर्शाये जाये एवं स्थायी वित्तीय समिति अथवा वित्तीय व्यय समिति से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त शेड्यूल में दर्शायी गई मात्रा ही अंतिम रूप से कार्य के सम्पादन हेतु स्वीकार होगी । इन मात्राओं में किसी भी प्रकार का आधिक्य किया जाना मान्य नहीं होगा ।

भविष्य में ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद शासन स्तर पर पृथक से अनुपूरक सूची के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में जिन प्रकरणों में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, उनमें अनुपूरक सूची का अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जाये ।

(सचिव, लो.नि.वि. द्वारा अनुमोदित)

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ0 क्रमांक : 1117 /8065/2014/19/यो भोपाल, दिनांक 13, 02, 2015
प्रतिलिपि:-

1. परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू., भोपाल
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू.,म.प्र.
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल कार्या0 लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू.,म.प्र.
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मध्यप्रदेश
7. समस्त संभागीय परियोजना संचालक, लो.नि.वि., पी.आई.यू.,म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13/2/15

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग